न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 147 / 2011 (उदयपुर डिक्री)

भैरूलाल पिता माणकलाल जी लौहार, निवासी मकान नंबर 13 / 65, आदर्श नगर, दक्षिणी सुन्दरवास, उदयपुर (राज.) मूल निवासी गांव मदार, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. माणकलाल पिता स्वर्गीय उदा जी लौहार मृतक के बजाय :–

1 / 1. श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी स्वर्गीय माणकलाल जी लौहार, निवासी गांव मदार, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

2. पृथ्वीराज पिता माणकलाल जी लौहार, निवासी गांव मदार, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

3. देवीलाल पिता माणकलाल जी लौहार, निवासी गांव मदार, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

4. श्रीमती भगवती देवी पत्नी भरत कुमार लौहार पुत्री माणकलाल जी लौहार, निवासी संतोष नगर, गायरियावास, उदयपुर (राज.)

5. श्रीमती सुनीता देवी पत्नी हीरालाल जी लौहार पुत्री माणकलाल जी लौहार, निवासी डांगियों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

6. मैसर्स महावीर प्रोपमार्ट प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय 146, आदीनाथ नगर, पुराना फतहपुरा उदयपुर जरिये मनीष पिता श्री अम्बालाल साहू, निवासी 56, शारदा नगर, बोहरा गणेश जी, उदयपुर (राज.)

7. श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी मोहनलाल जी लौहार, निवासी गांव मदार, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 31.01.2011 प्र.सं. 164 / 08

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री पवन सिंघल अभिभाषक अपीलान्ट

2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰ 6

3. श्री रामलाल मेघवाल अभि॰ रेस्पो॰ सं॰ 1 व 5

———:::———

निर्णय **दिनांक 30—04—2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वादीगण स्वर्गीय उदा लोहार के वारिसान है, जो प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र हैं, जिनके संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य की कृषि भूमियां वाद पत्र की कलम संख्या 1 में खाता संख्या 356 की कुल किता 9 रकबा 1.3650 हैक्टर तथा अन्य खाता संख्या 355 की आराजी नंबर 4000 रकबा 0.0200 हैक्टर स्थित है। उक्त भूमियों में 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। उपरोक्त आराजियात पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मकान भी बने हुए हैं। मूल पुरूष काना जी के पुत्र उदाजी व उदा जी के माणकलाल प्रतिवादी संख्या 1 हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 ने 2 विवाह किये। पहली पत्नी भंवरीबाई से 2 संताने हुई जो वादीगण हैं तथा दूसरी पत्नी लक्ष्मीबाई से 4 संताने 2 पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 व 3 हैं तथा 2 पुत्रियां प्रतिवादी संख्या 4 व 5 हुई। उक्त भूमियां उदाजी पुत्र कानाजी लोहार की सम्पत्तियां थी। इस प्रकार मौरूसी भूमियों में सभी पक्षकारान का बराबर—बराबर हिस्सा है। वादी संख्या 1 वर्तमान में उदयपुर में रहता है तथा वादी संख्या 2 गांव मदार में अपने परिवार के साथ अलग रहता है, जिसका लाभ उठाकर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने वादीगण को बिना बताये तथा प्रतिवादी संख्या 1 की मानसिक बीमारी की अवस्था का लाभ उठाकर उक्त भूमियों में से आराजी नंबर 4185, 4186 व 4489 किता 3 रकबा 1.0800 हैक्टर भूमि दिनांक 20—03—2008 को प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी, जो वादीगण के मुकाबले शून्य है। उक्त आराजियात में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा है। निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमियां संयुक्त परिवार की घोषित की जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में किये गये विक्रय विलेख को अप्रभावी घोषित किया जावे

तथा उपरोक्तानुसार भूमियों का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही हुई। वादी की ओर से साक्ष्य लेने के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 31–01–2011 निर्णय पारित करते हुए प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किये गये आराजी नंबर 4185, 4186 व 4189 किता 3 रकबा 1.0800 हैक्टर भूमि को छोड़ते हुए शेष भूमियों बाबत् वादीगण का वाद स्वीकार कर आराजी चाह नंबर 4000 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक को 1/28, 1/28 हिस्से का तथा आराजी नंबर 3977, 3978, 3979, 3985, 4744, 4745 किता 6 रकबा 0.2850 हैक्टर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक को 1/7, 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए बंटवाड़े की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20–07–2011 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी काफी लम्बे समय बाद मिली, क्योंकि पीठासीन अधिकारी उन दिनों प्रशासन गांव के संग अभियान में व्यस्त थे एवं न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को तारीखें देती जाती रहीं, जबकि निर्णय दिनांक 31–01–2011 को ही हो चुका था। जानकारी होने पर नकले प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि दिनांक 31–01–2011 को वादीगण के अधिवक्ता की उपस्थिति में उक्त निर्णय पारित किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा नकल का आवेदन देने के बाद उसे दिनांक 10–06–2011 को तैयार हो चुकी थी, जो उसके द्वारा दिनांक 19–06–2011 को प्राप्त की गयी तथा उक्त नकल प्राप्त होने के भी एक माह बाद यह अपील प्रस्तुत की है, जिसके लिए उसके द्वारा जो कारण दर्शित किये गये हैं, वे न तो उचित हैं न ही पर्याप्त, तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से वकील श्री रामलाल मेघवाल उपस्थित हुए। अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्टगण के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि दौराने बहस की गयी बहस अनुसार अपीलान्ट का प्रमुख उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अन्य आराजियात का तो विभाजन कर दिया, परन्तु आराजी नंबर 4185, 4186 व 4489 को प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा क्रय किये जाने से विभाजन योग्य नहीं है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट/वादीगण की अखण्डित साक्ष्य से यह बिन्दु स्पष्ट था कि उक्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 माणकलाल को उनके पूर्वजों से प्राप्त हुई है इसलिए सभी आराजियात विभाजन योग्य थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का बिना विवेचन किये निर्णय पारित किया गया है।

प्रकरण में हमारे द्वारा यह पाया गया कि अपीलान्ट/वादीगण पर यह भार था कि वे उक्त भूमि काना जी के समय की होना साबित कराते। यहां पर तो अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे भूमिया काना जी अथवा उदा जी से माणकलाल जी को प्राप्त होना प्रकट होता हो। यदि उक्त भूमियां उदा जी से माणकलाल जी को प्राप्त होती तो भी धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार पिता के जीवनकाल में पुत्रों को हक प्राप्त नहीं होता है। भूमियां काना जी के समय की होने का प्रमाणन उपलब्ध नहीं है। यदि उक्त भूमियां काना जी के समय की होने का कोई रेकार्ड उपलब्ध होता तो उसके आधार पर भूमियां संयुक्त परिवार की कोपार्शनरी सम्पत्ति होने के कारण वादीगण का हिस्सा उसमें माना जा सकता था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 के पक्ष में किये गये माणकलाल द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को मान्यता दिये जाने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गयी है, क्योंकि माणकलाल द्वारा किये गये विक्रय में अपीलान्ट/वादीगण का किसी प्रकार का कोई हक विधिक रूप से स्थापित होता है, ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। सिर्फ मौखिक साक्ष्यों के आधार पर वाद डिक्री करने का कोई आधार

नहीं होता है। इन परिस्थितियों में हम अपील गुणावगुण पर भी पोषणीय नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–01–2011 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–04–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

भैरूलाल पिता माणकलाल लोहार, निवासी मकान नं. 13/65, आदर्श नगर, दक्षिणी सुन्दरवास, उदयपुर मूल निवासी गांव मदार, तह. गिर्वा बनाम **माणकलाल के बजाय श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी स्व. माणकलाल लोहार, निवासी गांव मादार, तहसील गिर्वा, जिला उदयुपर व अन्य**

अपील नं.....**147 / 2011**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....31**.....माह.....**01**.....**2011**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**30**....माह.....**04**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.**श्री पवनसिंघल**.मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री हनुमान प्रसाद शर्मा/रामलाल मेघवाल**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–01–2011 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**30**.....माह.....**04**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।